REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 11 | ISSUE - 12 | SEPTEMBER - 2022

महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एव आरक्षण

डॉ. राजेश कुमार सोनकर

सारॉंशः

विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र 'भारत' यदि आज समस्त प्रकार की विसंगतियों एवं विषमताओं के उपरान्त भी न केवल जीवित हैं बल्कि उतरोतर सुदृढ़ता को प्राप्त कर रहा है, तो इसके मूल में निःसन्देह वे प्रजातान्त्रिक प्रवृतियां तथा मूल्य उतरदायी है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत भूमि का मान बढ़ाते हैं। भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से विकसित हुई हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जन–जन की शासन की गतिविधियों में सहभागिता को विकसित करने का साधन है–पंचायतीराज। पंचायती राज प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का आधुनिक रूपान्तरण है। यह शासन को जनता के निकट ला देता है। लोकतन्त्रीय राजनीति व्यवस्था में पंचायती राज ही वह माध्यम है जो शासन को सामान्य जन के दरवाजे तक लाता है। सच्चे लोकतन्त्र की स्थापना के लिए स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ अनिवार्य हैं। महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं आरक्षण–पंचायती राज के सम्बन्ध में एक बात विचारणीय है कि स्वतंत्रता के बाद भी देश की राजनीति में धर्म, जाति और साम्प्रदायिकता के तालमेल ने महिला हितों को सदैव आघात पहुंचाने का प्रयास किया है। इनके वर्गीय हितों में कहीं भी महिला हितों का संकेत प्राप्त नहीं होता। नारी आन्दोलन के अनुसार राजनीति का आदर्श किसी भी प्रकार के शोषण, दबाव, अत्याचार, सामाजिक–आर्थिकअन्याय आदि का विरोध होना चाहिए किन्तु नीति–निर्धारण की जिन नियंत्रित संकायों में पुरूष वर्चस्व ही हो, उनसे नारी अस्तित्व व सम्मान हेतु न्याय परक दृष्टि की आशा बेईमानी है। अतः समानता की गारंटी के लिए प्रतिनिधित्व की गारंटी प्रथम अनिवार्य शर्त है।

मुख्य शब्द : महिला, पंचायतीराज, आरक्षण, राजनीतिक सहभागिता, स्वतन्त्रता.

प्रस्तावना :

महिलाएँ मानव समाज के बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान की मुख्य आधारबिन्दु रही है। कई युगों से महिलाएं प्रत्येक कार्य को सफलतापूर्वक करने में सतत् प्रयत्नशील संघर्षरत है। विश्व के प्रत्येक भाग में यह अनुभव किया जा रहा है कि आधी आबादी के श्रम के योगदान के बिना उत्थान की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। महिलाएं संगठित एवं असंगठित प्रत्येक क्षेत्र में क्रमिक के रूप में योगदान कर राष्ट्रीय विकास को गति प्रदान कर रही है, किन्तु फिर भी उन्हें समाज में वह स्थान नहीं मिल पाया है जिसकी वे पूर्ण अधिकारी है। उन्हें औसत दर्जा नहीं अपितु दोयम दर्जा प्रदान किया गया है।

भारतीय लोकतन्त्र का गहनतम विश्लेषण किया जाय, तो यहाँ जन–प्रतिनिधियों के निर्वाचन एवं उनके अधिकार वितरण की प्रक्रिया को तीन प्रमुख भागा में बाँटा जा सकता है। जिसमें प्रथम, केन्द्रीय स्तर की, द्वितीय, राज्य स्तर की एवं तृतीय, जनपदीय स्तर की। यदि इन तीनों स्तरों में से जनपदीय स्तर की राजनीति का और गहन विश्लेषण किया जाय तो यह भी अन्य त्रि–स्तरीय उप ढ़ाँचे में विभाजित मिलता है। जिसमें ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, विकास खण्ड या मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत। यह महिलाओं की एक लम्बी लड़ाई के बाद सम्भव हो पाया। 1971 में भारत सरकार द्वारा महिलाओं का दर्जा सुधारने के लिए एक समिति बनाई गयी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट "समानता की ओर" के नाम से दी उसमें बताया गया कि जैसे–जैसे समाज बदल रहा है पुरूषों की तुलना में महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय, अयोग्यता तथा भेदभाव को दूर करने के लिए कानूनी तथा प्रशासकीय उपाय ढूँढ़ने पर बल दिया जा रहा है। गत दशकों में काफी संख्या में विधान लागू किये गये जिन से महिलाओं के समान स्तरों व अवसरों को सुनिश्चित किया गया है। इसमें राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण करने की जरूरत भी महसूस की गई। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण हेतु 1992 में 73वाँ संविधान संशोधन विधेयक पारित करके 33ः सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गईं जिससे महिलाएँ सशक्त हो सकें व समानता की ओर अग्रसर हो सकें। पंचायत चुनावों में 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग बढ़ी और आधुनिक समय में परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार महिलाओं की योग्यता व क्षमता में वृद्वि के लिये राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर गम्भीरता से विचार करने के कारण 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का प्रतिनिधत्व बढ़ा ग्रामीण क्षेत्रों की राजनिति में महिलाओं के योगदान से स्थानीय स्तर की समस्याओं को सुलझाने में उनका योगदान रहा। महिलायें जब अच्छी मतदाता है तो सभी क्षेत्रों में अपनी दक्षता, कुशलता, योग्यता का परिचय दे चुकी है तो राजनीतिक क्षेत्र में वे अच्छी प्रत्याशी प्रतिनिधि नेतृत्वकर्ता की भूमिका अदा कर सकती है।

अध्ययन का उद्देश्यः

1. महिलाओं की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करना।
2. महिला के पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
3. महिला की सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करना।
4. महिला की शैक्षणिक पृष्ठभूमि ज्ञात करना।
5. परिवार में महिलाओं के प्रतिपुरुषों की मनोवृत्तियों का अध्ययन करना।

उपकल्पना :

प्रस्तुत अध्ययन के संदर्भ में कतिपय उपकल्पनाएँ अधोलिखित प्रकार की हैं–

1. गाँवों में महिलाओं की स्थिति अत्यधिक उपेक्षापूर्ण पायी जाती है।
2. महिलाओं के प्रति परिवार का दृष्टिकोण पुरुषों की तुलना में निम्न स्तरीय पाया जाता है।
3. महिलाओं से पुरुषों की तुलना में पारिवारिक कार्यों में अपेक्षाएँ अधिक रखी जाती हैं।

साहित्य की समीक्षा :

अध्ययन में निम्न विद्वानों के अध्ययनों को सम्मलित किया गया है।

श्रीनिवास (1966) ने अपने अध्ययन 'सोशलचेंज इन मार्डन इण्डिया' में पाया है कि निम्न जातियों में पंचायतीराज के उदय के पश्चात् आत्मविश्वास और शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। लैटिन अमेरिका में महिला और राजनीतिः– महिला राजनैतिक प्रतिनिधित्व का संस्थानिक स्तर पर परिप्रेक्ष्य और सीमायें यह अंक लैटिन अमेरिका में महिलाओं की राजनैतिक नेतृत्व का मुद्दों पर जोर देता है। विशेषकर यह 1990 के दौरान के समय में महिलाओं की राजनैतिक नेतृत्व की व्याख्यायित करता है। यह मुख्यतः लैटिन अमेरिका का संस्थागत राष्ट्रीय घटनाओं की विस्तृत व्याख्या करता है। इसके बावजूद संरचनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तत्व के रुप में विकसित देशो में महिला प्रतिनिधित्व का महत्व है और यह खोज संस्थागत राजनैतिक सुधार पर जोर देगी। देश के अन्दर ही सुधार का परिणाम देखा जा सकता है।

सुरिन्द्र जेटली (1981) ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव का अध्ययन किया। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि नियोजित सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने महिलाओं के क्रिया–कलापों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं। महिलाओं में आर्थिक समृद्धि आयी है, जिसने उनके कार्य एवं दायित्व को बढ़ा दिया है। महिलाओं की सोच में परिवर्तन आया है। राजनीतिक सहभागिता में वे रुचि लेने लगी हैं।

सुशीला पटनी (1992) ने अपने अध्ययन 'वूमेनपॉलिटिकल एलाइट, सर्च फार आइडेन्टिटी' में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि महिलाएं किस प्रकार अपनी अस्मिता के लिए प्रत्येक पग पर अपने विवेक का परिचय दे रही है। अध्ययन के अन्तर्गत उन अभिसूचकों को एवं परिणात्मक तथ्यों के आधार पर उन आयामों को ढूँढ़ने का प्रयास किया गया है जिसके माध्यम से महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता को विश्लेषित किया गया है।

सुधीर वर्मा (1997) ने अपने अध्ययन 'वुमेन स्ट्रगल फार पोलिटिकल स्पेस' में महिलाओं की भूमिका स्थिति तथा प्राचीन जैविकीय प्रकार्यों के आधार पर महिलाओं के सामाजिक भूमिकाओं, समस्याओं को इंगित किया है। आपने अपने अध्ययन में एक तरफ ईसाईयत और दूसरी ओर इस्लाम के प्रभाव को दर्शाया है। फ्रांसीसी क्रांति के कारण हुए परिवर्तन एवं 19 वीं शताब्दी में विश्व के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। आपने सम्पूर्ण विश्व में (इंग्लैण्ड, फ्रांस, न्यूजीलैण्ड, स्वीटजरलैण्ड, जापान, यूरोपीय विश्व, अफ्रीका तथा अंततः भारत में) महिलाओं की स्थिति में हुए परिवर्तनों का उल्लेख आलोचनात्मक आधार पर किया है। महिलाओं का मतदान प्रक्रिया में बढ़ती सहभागिता के स्तर के कारणों का भी विश्लेषण करने का प्रयास किया है। अध्ययन के अन्तर्गत महिलाओं के मतदान प्रक्रिया में भागीदारी को ही पर्याप्त न मानते हुए, सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया तथा निर्णय सम्बंधित निकायों की आवश्यकता पर बल दिया है। महिलाओं के प्रति दुराग्रह एवं पूर्वाग्रह के सन्दर्भ में भी लेखक ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि कार्यों में समानता होने के बावजूद भी महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है, कार्यालयों में उनका शारीरिक एवं मानसिक शोषण होता है परन्तु इसके लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयास पर्याप्त एवं संतोषजनक नही है।

तथ्यों का विश्लेशण एवं निष्कर्ष :

आयु : एक जैवकीय तथ्य है, जो शारीरिक विकास एवं परिपक्वता की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। जैवकीय तथ्य होने के साथ ही आयु सामाजिक तथ्य भी है। सभी समाजों में आयु पर आधारित विभेदीकरण महत्वपूर्ण माना गया है। मनुष्य के सामाजिक पद के निर्धारण में एवं उसकी परिवार में प्रस्थिति के संदर्भ में आयु का विशेष महत्व है। –

सारणीसंख्या – 1
उत्तरदाताओं का आयु के आधार पर विवरण

आयु (वर्षों में)	आवृत्ति	प्रतिशत
20 –30 वर्ष	40	18.19
31 – 40 वर्ष	82	37.28
41 – 50 वर्ष	48	21.81
50 वर्ष से ऊपर	50	22.72
योग	**220**	**100.00**

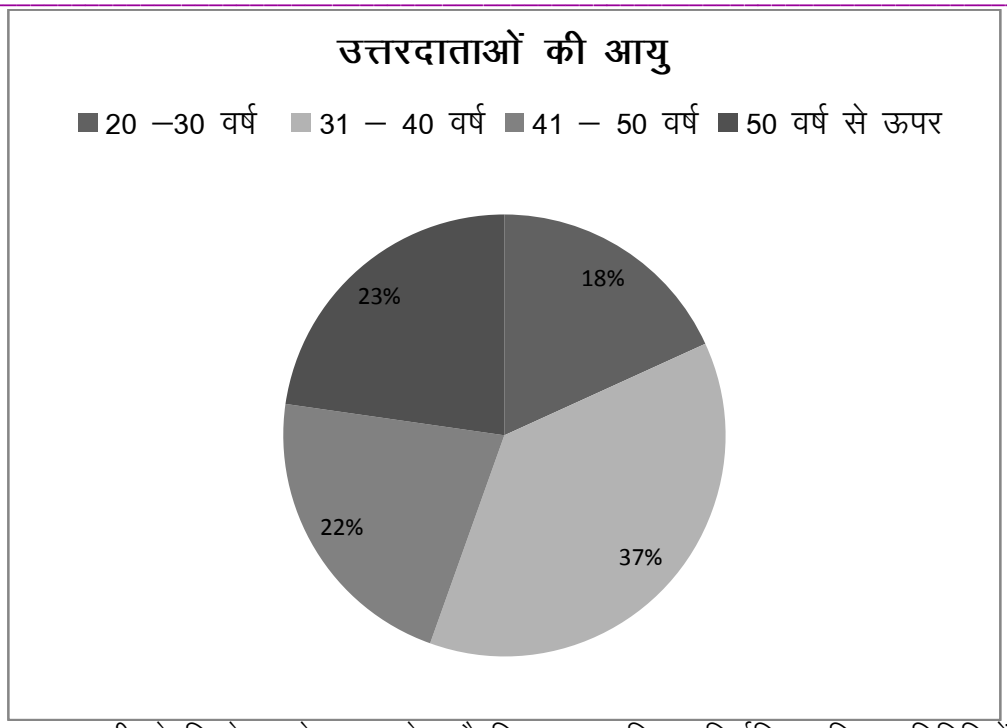

प्रस्तुत सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 18.19 प्रतिशत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की आयु 20 से 30 वर्ष की है। 37.28 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आयु 31 से 40 वर्ष की है। 21.81 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आयु 41 से 50 वर्ष की है एवं 22.72 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आयु 50 वर्ष से अधिक की है।

अतः निष्कर्ष निकलता है कि अधिसंख्य 37.28 प्रतिशत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की आयु 41–50 वर्ष की है।

शैक्षिक योग्यता :

शिक्षा सामाजिक–आर्थिक गतिशीलता का एक प्रभावशाली माध्यम है। आधुनिक समाज में औपचारिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति कुछ विशिष्ट योग्यता, क्षमता एवं कुशलता को ग्रहण करके सक्रिय सामाजिक जीवन व्यतीत करता है। रोजगार के अवसर शिक्षा के माध्यम से अधिक विस्तृत हो जाते हैं।

सारणी संख्या –2
उत्तरदाताओं का शैक्षणिक स्थिति के आधार पर विवरण

शैक्षणिक स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
निरक्षर	66	30.00
साक्षर	41	18.64
प्राइमरी	28	12.73
जूनियर हाईस्कूल	30	13.64
हाईस्कूल	22	10.00
इण्टर	15	06.81
स्नातक	16	07.28
परास्नातक	2	0.90
योग	**220**	**100.00**

प्रस्तुत सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 30.00 प्रतिशत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का शैक्षणिक स्तर निरक्षर है। 18.64 प्रतिशत उत्तरदाता साक्षर है। 12.73 प्रतिशत उत्तरदाता प्राइमरी स्तर तक शिक्षित हैं। 13.64 प्रतिशत उत्तरदाता जूनियर हाईस्कूल तक शिक्षा प्राप्त की है। 10.00 प्रतिशत उत्तरदाता हाईस्कूल तक शिक्षित हैं। 06.81 प्रतिशत उत्तरदाता इण्टर तक शिक्षा प्राप्त हैं। 07.28 प्रतिशत उत्तरदाता स्नातक तथा 0.90 प्रतिशत उत्तरदाताओं का शैक्षणिक स्तर परास्नातक है।

पंचायती राज में महिलाओं का 33 प्रतिशत आरक्षण

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों से यह जानकारी प्राप्त की गयी कि क्या पंचायती राज में महिलाओं का 33 प्रतिशत आरक्षण पुरुष समाज द्वारा सह्य है? उनसे प्राप्त जानकारी को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है–

महिला स्वतंत्रता : उत्तरदाताओं से यह जानकारी प्राप्त की गयी कि क्या निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को अकेले घर से निकलने की स्वतंत्रता है? उनसे प्राप्त जानकारी को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है–

सारणीसंख्या –3

निर्वाचित महिला प्रतिनिधि को अकेले घर से निकलने की स्वतंत्रता के आधार पर विवरण

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	93	42.28
नहीं	127	57.72
योग	**220**	**100.00**

प्रस्तुत सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 42.28 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को अकेले घर से निकलने की स्वतंत्रता है तथा 57.72 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को अकेले घर से निकलने की स्वतंत्रता नहीं है।

महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं आरक्षण के अध्ययन से निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि 53.19 प्रतिशत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के परिवार में पुरुष एवं महिला को बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं है। यहाँ हमारी उपकल्पना "गाँवों में महिलाओं की स्थिति अत्यधिक उपेक्षा पूर्ण पायी जाती है" प्रामाणिक सिद्ध होती है। 63.63 प्रतिशत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के परिवार में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ हमारी उपकल्पना" महिलाओं के प्रति परिवार का दृष्टिकोण पुरुषों की तुलना में निम्न स्तरीय पाया जाता है" प्रामाणिक सिद्ध होती है। 55.90 प्रतिशत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों महिलायें स्वतंत्र रूप से फैसले करने में सक्षम नहीं है। 53.63 प्रतिशत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के अनुसार लैंगिक असमानता मानव समाज की एक सार्वभौमिक विशेषता है, इस मत के प्रति असहमत हैं। 60.90 प्रतिशत निर्वाचित महिला प्रतिनिधि भारतीय समाज में व्याप्त पितृसत्तात्मक व्यवस्था को महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में बाधक मानती हैं। 51. 81 प्रतिशत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के यहाँ महिलाओं के साथ भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं में भेदभाव बरता जाता है, घरेलू कार्यों में उनसे अधिक अपेक्षा रखी जाती है। यहाँ हमारी उपकल्पना" महिलाओं से पुरुषों की तुलना में पारिवारिक कार्यों में अपेक्षाएँ अधिक रखी जाती है" प्रामाणिक सिद्ध होती है। 66.81 प्रतिशत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के अनुसार पंचायती राज में महिलाओं का 33 प्रतिशत आरक्षण पुरुष समाज द्वारा सह्य है। 63.19 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की राजनीति में भागीदारी में पुरुष समाज द्वारा रोड़े अटकाये जाते हैं। 57.72 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को अकेले घर से निकलने की स्वतंत्रता नहीं है। 58.19 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार निर्वाचित महिला प्रतिनिधि पेचीदा मसलों को हल करने में सक्षम नहीं है। 65.46 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में नियमों आदि की जानकारी का अभाव नहीं है। यहाँ हमारी उपकल्पना" पंचायत के निर्वाचित महिला सदस्यों को अपने अधिकार क्षेत्रों की आंशिक जानकारी है" प्रामाणिक सिद्ध होती है। 65.90 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में शिक्षा का अभाव है। यहाँ हमारी उपकल्पना" महिला निर्वाचित प्रतिनिधितयों में शिक्षा का अभाव पाया जाता है" प्रामाणिक सिद्ध होती है। 67.28 प्रतिशत

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के अनुसार निरक्षरता का कलंक धीरे–धीरे मिट रहा है। 61.37 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार परिवार के पुरुष सदस्य निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को अन्य पुरुषों से सीधे बात करने से रोकते है। 51.37 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार पर्दाप्रथा निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की राजनीतिक भागीदारी में बाधक नहीं है। 74.54 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार अशिक्षा निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की राजनीतिक भागीदारी में बाधक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

आहूजा, राम (1987): क्राइम अगेंस्ट बूमेन, रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली.
आन्द्रे, बेताई (1999) : इम्पावरमेंट, एकोनामिक एण्ड पोलिटिकल विकली, मार्च, पृ. 589–97.
अल्तेकर, ए.एस. (1983): स्टेटस ऑफ वूमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली.
जेटली, एस.: (1981). इम्पेक्ट ऑफ प्लान्ड सोशल चेंज इन मार्डनाइजेशन ऑन रूरल वेमन– ए पायलट स्टडी इन वेस्टर्न यू.पी., आई सी एस आर रिसर्च एब्सट्रक्ट, 10 (1–2),, पृ. 1–16.
श्रीनिवास, एम.एन. (1966): सोशल चेंज इन माडर्न इण्डिया, एलाईड पब्लिकेशन, बाम्बे.
वर्मा, सुधीर (1997): वूमेन स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल स्पेस, रॉवत पब्लिकेशन, जयपुर.
सिंह, निशांत (2008): पंचायती राज एवं महिलायें, सुनील साहित्य, दिल्ली.
सिंह, रामवीर एवं सिंह, शिवराज (2013) : भारत में महिला सशक्तीकरण: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, अखिलेश एस एवं शुक्ल संध्या, भारतीय समाज, मुद्दे एवं समस्यायें, गायत्री पब्लिकेशन्स, रीवा, पृ. 688.